



कमांक प.2(4)(उच्च अध्ययन)आ.कृ./5107-25

राजस्थान-सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 25.11.2021

आदेश

इस विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारियों को उच्च अध्ययन हेतु उनके नाम के आगे अंकित परीक्षा में बैठने की अनुमति निर्धारित शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है :-


क्र. सं.	नाम कर्मचारी मय पद	परीक्षा का नाम	कार्यालय का नाम
1	श्री राधाकृष्ण मीना कनिष्ठ सहायक	M.A.	आयुक्तालय ज.ग्र.वि.एवं भू-संर.राज. जयपुर
2	श्री सौरभ चौबीसा, कनिष्ठ सहायक	M.A.(I Year) VMOU	सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) डूंगरपुर
3	श्री श्रवण कुमार कनिष्ठ सहायक	M.A.(I Year) राजनीति विज्ञान	उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि.प. जोधपुर
4	श्री मुनेष भांभी सहायक कर्मचारी	RSCIT-2021-22	सहा.निदे.कृषि(वि.) केकडी
5	श्री छतरसिंह सिंदल सहायक कर्मचारी	राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय शिक्षा संस्थान से हायर सैकण्ड्री	सहा.निदे.कृषि(वि.) जालौर
6	श्री राजेन्द्र सिंह सहायक कर्मचारी	राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय शिक्षा संस्थान से हायर सैकण्ड्री	संयुक्त निदे.कृषि (विस्तार) खण्ड कोटा
7	श्री मनीष कुमार सेन सहायक कर्मचारी	RSCIT-VMOU	उप निदे.कृषि (विस्तार) जि.प. चुरू
8	श्रीआशीष कुमार शर्मा कनिष्ठ सहायक	पुस्तकालय विज्ञानमें डिप्लोमा-VMOU	Ex.En.ज.ग्र.वि.एवं भू- सं. बस्सी

निर्धारित शर्तें

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरित हो जाता है, तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग-2 अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य संपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाये।

(3)

8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।



(के.सी. मीणा)


संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

दिनांक : 25.11.2021

क्रमांक प.2(4)(उच्च अध्ययन)आ.कृ./ 5107-25

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्तालय जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) खण्ड कोटा
3. उप निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद् जोधपुर/चुरू।
4. सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) डूंगरपुर/कैकडी/जालौर।
5. सहायक अभियंता एवं पीआई.ए.जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण पं.स.बस्सी (जयपुर)।
6. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सेल मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर डाउनलोड करने हेतु।
7. संबंधित श्री
8. निजी/रक्षित पत्रा0



(गोपाल लाल)

उप निदेशक कृषि (प्रशासन)